न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 14/2012/भीलवाड़ा(2012/00027)

पुनीत कुमार बूलिया पुत्र श्री उमराव सिंह बूलिया निवासी शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/2008/डी–997 दिंनाक 08–10–2008

————

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 31.03.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम 12 बोर बन्दूक डी.बी.बी.एल. संख्या 24001 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 20/98 था जो कि लगातार वर्ष 1998 से 31–12–2007 तक नवीनीकरण होता आ रहा था। इसे आगामी वर्ष 1–1–2008 से 31–12–2010 तक नवीनीकरण करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका चालान 60/– रूपयें राजकोष में जमा करा दिये गये थे तथा थानाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा से नवीनीकरण किये जाने की सिफाारिश भी प्राप्त हो गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के चरित्र के बारे में कोई विपरीत टिप्पणी अंकित नहीं की। थानाधिकारी ने अपीलार्थी का लाईसेन्स आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण करने की सिफारिश की है परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 27/91 एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत लम्बित होकर उसमें दिनांक 18–5–1998 को सजा होने के आधार पर दिनांक 8–10–2008 को हथियार का लाईसेंस संख्या 20/98 को रिवोक करने के आदेश पारित किये। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:14 IST
Reason: SelfAttested

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–10–2008 की प्रति अपीलार्थी को कभी भी प्राप्त नहीं हुई। उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 29–2–2012 को तब प्राप्त हुई जब अपीलार्थी जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के कार्यालय मे हथियार के लाईसेंस के नवीनीकरण की जानकारी करने गया तब प्रार्थी को अवगत कराया गया कि उसके नाम का लाईसेंस आदेश दिनांक 8–10–2008 को रिवोक किया जा चुका है। इसके पश्चात दिनांक 1–3–2012 को आवश्यक दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रापत करने के लिए आवेदन किया जिस पर दिनांक 2–3–2012 को प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की। तत्पश्चात अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत की गई है जो निर्णय की जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:14 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) व (3) में यह स्पष्ट प्रावधान

है कि लाईसेंस को रिवोक/निलंबन/निरस्त संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए अपीलाधीन आदेश आर्म्स एक्ट की धारा 17 (1) व (3) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(बी) में यह प्रावधान है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेंस को उन्हीं परिस्थितियों में रिवोक/निरस्त किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए ऐसा आवश्यक हो। अपीलार्थी के विरूद्ध हथियार दुरूपयोग का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। थानाधिकारी व उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने अपीलार्थी के पक्ष में रिपोर्ट प्रेषित की थी उसके बावजूद जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने उक्त दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 27/91 चला जिसका निर्णय दिनांक 21–8–1998 को हुआ और सजा हुई तब भी लाईसेंस को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने की सिफारिश क्यों की गई तो दोनों अधिकारियों ने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया कि जो मुकदमा चल रहा था वह लाईसेंस जारी होने से पूर्व का था इसके पश्चात लगातार लाईसेंस नवीनीकरण होता आ रहा है। उक्त प्रकरण एक्सप्लोजिव एक्ट से संबंधित था। उक्त प्रकरण दिनांक 18–5–1998 को निर्णित हो चुका है। उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 18–5–1998 को होने के पश्चात दिनांक 23–10–1998 को अनुज्ञा पत्र जारी किया गया जो लगातार 31–12–2007 तक नवीनीकरण होता आ रहा था। अपीलार्थी ने जब हथियार का लाईसेंस नवीनीकरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तब उनके विरूद्ध कोई फौजदारी मुकदमा विचाराधीन नहीं था एव ना ही आज तक किसी फौजदारी मामलें में अपीलार्थी को दण्डित ही किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध केवल फौजदारी मुकदमा विचाराधीन या दोष सिद्धि के आधार पर हथियार के लाईसेंस को रिवोक नहीं किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपने आदेश में अपीलार्थी के हथियार से जन–सुरक्षा या पब्लिक पीस के लिए खतरा होने का उल्लेख तक नहीं किया है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थ के विरूद्ध कभी भी दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 107, 110 व 116(3) के तहत कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर की खण्डपीठ ने 2005(2) Cr.L.R.(Raj) पृष्ठ 907 में प्रकाशित डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 576/2003 निर्णय दिनांक 18–1–2005 में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने यह इंगित नहीं किया कि लोक शांति की सुरक्षा बनाये रखने के लिए किस प्रकार अपीलार्थी के आयुद्ध लाईसेंस को रद्ध करना जरूरी था। माननीय खण्डपीठ ने यह भी मत व्यक्त किया कि केवल कुछ फौजदारी मुकदमें लम्बित होने के आधार पर आयुद्ध लाईसेंस निरस्त करना न्यायोचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:14 IST
Reason: SelfAttested

उनका यह भी तर्क है कि माननीय हाईकोर्ट ने 2006(3) क्रिमिनल कोर्ट केस पृष्ठ 503 में प्रकाशित निर्णय पीटीशन नम्बर 13164/2003, डी दिनांक 8.11.2005 वीरेन्द्र पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में

स्पष्ट मत व्यक्त किया गया है कि फौजदारी प्रकरण लम्बित होने या उसमें सम्मिलित होने पर भी आयुद्ध लाईसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर ने परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2006 के बिन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने से पहले बिन्दु संख्या 5.2(1) से 5.2(12) में वर्णित बिन्दुओं की पालना करने पर ही लाईसेंस आगे रिन्यु करने की व्यवस्था की है। इसमें आर्म्स रूल्स के नियम 3 व 4 का भी उल्लेख है तथा परिशिष्ठ 10 में शपथ–पत्र भी दिये जाने की व्यवस्था है। बिन्दु संख्या 5 में वर्णित शर्तो की अवहेलना का अपीलांट दोषी नहीं है। इनमे से कोई भी बिन्दु अपीलांट के विपरीत नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसका जीवीकोपार्जन का साधन मात्र ठेकेदारी ही है । अपीलार्थी सिंचाई विभाग के निर्माण के ठेके लेता है जिसके कारण उसे कई दिनों तक जंगल में जानवरों से सुरक्षा के लिए हथियार की आवश्यकता रहती है। राजस्थान सरकार ग ृह(ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 13–7–2007 के बिन्दु संख्या 6 (क) व (ख) के अनुसार सुरक्षा के लिए हथियार का लाईसेंस जारी किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–10–2008 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण 1–1–2008 से 31–12–2013 तक करने के आदेश प्रदान करावे।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। यधपि उपजिला मजिस्ट्रेट, शाहपुरा एवं थानाधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने में कोई आपत्ति होना नहीं दर्शाया है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 27/91 धारा 286 भा.द.स. एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज होकर सजा होने तथा अपीलार्थी के द्वारा आर्म्स लाईसेंस जारी कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मुकदमा दर्ज होकर सजा होने के उपरान्त भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने की झूठी सूचना प्रस्तुत करने के आधार पर अपीलार्थी का लाईसेंस रिवोक किया है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 08–10–2008 विधि सम्मत होने से यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:14 IST
Reason: SelfAttested

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे मेरे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि यद्यपि उपजिला मजिस्ट्रेट, शाहपुरा एवं थानाधिकारी

द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने में कोई आपत्ति होना नहीं दर्शाया गया है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है तथा लाईसेंस नवीनीकरण करना उचित बताया है परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 27/91 धारा 286 भा. द.स. एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज होकर उसमे सजा होने तथा अपीलार्थी के द्वारा आर्म्स लाईसेंस जारी कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फार्म ए में मुकदमा दर्ज होकर सजा होने के उपरान्त भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने की झूठी सूचना प्रस्तुत करने के आधार पर अपीलार्थी का लाईसेंस रिवोक किया है।

यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि अपीलार्थी ने अपील मीमों में उल्लेखित है कि अपीलार्थी सिंचाई विभाग में ठेकेदारी का कार्य करता है जिसके कारण उसे कई दिनों तक जंगल में जानवरों से सुरक्षा के लिए हथियार की आवश्यकता रहती है। अपीलार्थी द्वारा अभी तक किस–किस जंगल में कितने दिनों तक सिंचाई विभाग का कार्य किया है तथा कार्य के दौरान अपीलार्थी को किस प्रकार के जानवर का सामना करना पड़ा है तथा जिसके हमले से अपीलार्थी को या अन्य किसी श्रमिक को शारीरिक नुकसान हुआ है, इसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा एवं न ही उनके अधिवक्ता द्वारा कोई दस्तावेजात न तो बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज ही उपलब्ध है जिससे कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करना आवश्यक हो।

अपीलार्थी श्री पुनित कुमार बूलिया को मुकदमा नम्बर 27/91 धारा 286 भा.द.स. एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत सजा होने तथा आवेदन पत्र में मुकदमा दर्ज होकर सजा होने के उपरान्त भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने संबंधी झूठी सूचना प्रस्तुत करने के कारण आगामी अवधि के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना अनुचित होने के कारण जिला मजिस्ट्रट भीलवाड़ा द्वारा शस्त्र 12 बोर डी.बी.बी.एल. संख्या 2401 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 20/98 को तत्काल प्रभाव से रिवोक किया जाकर इसमें दर्ज हथियार को पुलिस थाना शाहपुरा में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2008/डी–997 दिनांक 08–10–2008 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 13:02:14 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर